उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोटर्स कालेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–**www.sssc.uk.gov.in** **mail: chayanayog@gmail.com**

फोन न० 0135–2669658 फैक्स न0 0135–2672902

पत्रांकः–परीक्षा/ 77 /2023–24 दिनांकः 07 जून, 2023

विज्ञप्ति/अधिसूचना

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2022 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक पदनाम **मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार विभाग)** की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई।

उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति/अधिसूचना संख्या–परीक्षा/09/2023–24 दिनांक 10 मई, 2023 के द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक नाप–जोख हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाईट www.sssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की गई तथा **दिनांक 22 मई, 2023 से 26 मई, 2023 तक चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक नाप–जोख परीक्षण आई0आर0बी0द्वितीय, झाझरा, देहरादून** में आयोजित की गई। उक्त निधारित अवधि में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा दिनांक 27 मई, 2023 को शारीरिक नाप–जोख परीक्षण में सम्मिलित होने का पुनः अवसर दिया गया था।

सूच्य है कि **मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार विभाग) की** शारीरिक नाप–जोख परीक्षण में अनुपस्थित रहे कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा शारीरिक परीक्षण कराए जाने हेतु पुनः अन्तिम अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त के क्रम में मा0 आयोग द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में शारीरिक नाप–जोख परीक्षण हेतु अन्तिम अवसर दिए जाने के किए गए अनुरोध के क्रम में आयोग द्वारा दिनांक 13.06.2023 की तिथि निर्धारित की गई हैं।

अतः पूर्व में शारीरिक माप–जोख परीक्षण में अपनी निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि–

1. पूर्व की निर्धारित तिथियों को अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी दिनांक 13.06.2023 को प्रातः **09.30 बजे** शारीरिक माप–जोख परीक्षण स्थल **आई0आर0बी0द्वितीय, झाझरा, देहरादून** में प्रतिभाग कर सकते है।
2. अभ्यर्थियों को अपने अनुपस्थित होने का वैध कारण प्रमाण सहित (जैसे चिकित्सक का प्रमाण पत्र व अन्य परीक्षा का प्रवेश पत्र इत्यादि) साथ लाना आवश्यक होगा।
3. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र, 02 पासपोर्ट साईज फोटो एवं मूल पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।
4. शारीरिक माप–जोख परीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक में छूट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सचिव

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।